बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
अधिसूचना

पटना, दिनांक..........

सं0 3पुरा/वि.–01/2009/–01 राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक संख्या –186, दिनांक 21.02.2014 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचना संख्या–3पुरा/वि.–01/2009–06 ज्ञापांक–49 दिनांक 20.2.2014 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल/स्मारक मधुबनी जिला अन्तर्गत मधेपुर प्रखंड के ग्राम द्वालख में हरेश्वर नाथ मंदिर अवस्थित है, को प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष के रूप में सुरक्षित घोषित करने की प्रस्ताव सम्बन्धी अधिसूचना **''बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कला निधि अधिनियम, 1976''** की धारा–3, उपधारा–1 के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित कर, इसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी थी। इसके विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दो माह की अवधि के अन्दर आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किया गया था।

जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना ज्ञापांक–49, दिनांक 20.2.2014 के घोषित किए जाने के विरूद्ध निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए। फलस्वरूप उक्त स्थल को सुरक्षित घोषित किए जाने योग्य समझा गया।

अतएव एतद् द्वारा राज्य सरकार **'हरेश्वर नाथ मंदिर'** को **'बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम 1976'** की धारा–3 की उपधारा–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अरविन्द ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ....   पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, ई0 गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु सी0डी0 के साथ प्रेषित।

2. अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेज दी जाये।

ह0/–
(अरविन्द ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ......50......   पटना, दिनांक - 02.03.15

प्रतिलिपिः–बिहार राज्यपाल के प्रधान सचिव/निदेशक पुरातत्व/जिलाधिकारी, मधुबनी, /अधीक्षण पुरातत्वविद्, पटना, अंचल, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर/अंचलाधिकारी, मधेपुर जिला मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

<u>बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन पुरातात्विक स्थल/अवशेष/की राजस्व विवरणी</u>

क्र	पुरास्थल/स्मारक का नाम	अवशेष	खाता न0	खेसरा न0	रकवा	चौहदी	जमीन की किस्म	ग्राम	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना न0	जिला	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	हरेश्वर नाथ महादेव मंदिर	हरेश्वर नाथ महादेव मंदिर, परिसर एवं पुरातात्विक स्थल	159	883	0.38डी0		शिवालय	ह्वालख	ह्वालख	मधेपुर		292	मधुबनी	गैर मजरूआ आम
			158	884	0.66डी0		सहन व खश							गैर मजरूआ खास
			158	885	0.20डी0		केलावारी							गैर मजरूआ खास
2				कुल	1.24(एक एकड़ चौबीस डी0)									
			982	932	0.32डी0		पुरानी परती का0 अ0		ह्वालख			292		अनावाद सर्वसाधारण
			982	834	0.50डी0		पुरानी परती का0 अ0		तदैव			तदैव		अनावाद सर्वसाधारण
			981	933	0.22डी0		पुरानी परती का0 अ0		तदैव			तदैव		अनावाद बिहार सरकार
				कुल	1.04(एक एकड़ चार डी0)									

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(अरविन्द ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।